

29.08.2017

आवेदक द्वारा अधि० श्री एस.एस. तोमर  
उपस्थित।।

अनावेदक क्रं. 1, 2, 3, 6 अनिर्वाहित।

अनावेदक क्रं. 4 व 5 द्वारा श्री पवैया अधिवक्ता  
उपस्थित।

प्रकरण में आवेदक की ओर से एक आवेदनपत्र  
अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के अंतर्गत प्रस्तुत  
किया गया है। जिसे कि आदेश 41 नियम 19 के  
अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 4, 5 दिनांक 13.  
03.15 को उपस्थित हो गये थे और उक्त दिनांक से  
भी अनावेदक क्रमांक 1, 2, 3, 6 की उपस्थिति हेतु  
आवेदक को तलवाना प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित  
किया जा रहा है। किंतु 13.03.15 के पश्चात 15  
अवसर दिये जाने के पश्चात भी आवेदकगण की ओर  
से अनावेदक क्रमांक 1, 2, 3, 6 की उपस्थिति हेतु  
तलवाना प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे  
अनावेदकगण पर नोटिस का निर्वाह नहीं हो पाया है।

अतः यह आवेदन आदेश 9 नियम 2 सहपठित  
आदेश 39 नियम 14(1) के अंतर्गत आवेदकगण की  
ओर से समनों की तामील के खर्चे देने में असफल  
रहने के आधार पर निरस्त किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकॉर्ड  
अभिलेखागार भेजा जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को  
आदेश की एक प्रति सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजी जावे।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत  
अपर जिला जज गोहद